



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow 226024, Telefax-2326696
Email: roez.krcmef@nic.in



पत्र सं० ४बी/यूपी०/०६/२४/२०२१/एफ०सी०/S 2

दिनांक : 29.04.2022

सेपा में,

मुख्य पत्र संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी,
वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग,
लखनऊ, उ०प्र०।

Online Proposal No. FP/UP/Road/40150/2019

विषय: जनपद मुजफ्फरनगर में नवीन घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग (एन०एच०-334ए), लखनऊ-परकाजी किमी० 0.00 से किमी० 15.089 के चौड़ीकरण हेतु 0.21 हे० संरक्षित वनभूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित विभिन्न प्रजातियों के 59 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश का पत्रांक-2800/11-सी-FP/UP/Road/40150/2019, लखनऊ, दिनांक-01.04.2022

महोदय,

उपरोक्त विषय का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयवस्तु प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 24.02.2021 द्वारा प्रकरण में आवश्यक सूचनाएँ मांगी गई थीं, जिसकी अनुपालना उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालन आख्या पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराएँ ताकि आगे की कार्यवाई सुनिश्चित की जा सके-

- 1- As per DSS analysis, area proposed for diversion is 0.10 ha. which is lower than the actual proposed area. As per Geo-referenced map, a forest patch is missing from .kml file of area proposed for diversion. This needs rectification. Rectified .kml file of complete route needs to be submitted. Accordingly if area proposed for diversion is changed then all related documents need to be modified and resubmitted.

TC

844/40150
8.4.0
02/5/22

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. अति० मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, मुजफ्फरनगर।
4. अधिशासी अभियंता, एन०एच० डिवीजन, पी०डब्ल्यू०डी०, गाजियाबाद।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

मवदीया,

(डॉ० प्राची गंगवार)

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

(डॉ० प्राची गंगवार)

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक-3093 /11-सी- FP/UP/Road/40150/2019 दिनांक, लखनऊ, मई 02, 2022

प्रतिलिपि- वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा उपरोक्त बिन्दुवार वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- प्रभागीय निदेशक, मुजफ्फरनगर को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा बिन्दुवार वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में वन संरक्षक के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि- अधिशासी, अभियन्ता, एन०एच० डिवीजन, पी०डब्ल्यू०डी०, गाजियाबाद।

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,

उ०प्र०, लखनऊ।